पंजीकृत

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्
शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांकःएन0ओ0सी0/ /2024–2025 दिनांक 10.3.2025

विषयः सांई पब्लिक स्कूल, पचोखर रोड़, रामगढ़, सोनभद्र को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1916/15–7–09–1(299)/2007 शिक्षा (7) अनुभाग, दिनांक 14.7.2009 द्वारा प्रदेश में स्थित माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को सी0बी0एस0ई0 तथा सी0आई0एस0सी0ई0 बोर्ड द्वारा संचालित किये जाने के पूर्व संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने का निर्देश दिया गया है। उ0प्र0 शासन के उक्त आदेश के अनुसार **जनपद सोनभद्र** में स्थित संस्था **सांई पब्लिक स्कूल, पचोखर रोड़, रामगढ़, सोनभद्र** के आवेदन पत्र पर मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा दिनांक 05.03.2025 को विचार किया गया। विद्यालय को **शैक्षिक सत्र 2025–26** से सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने से मण्डलायुक्त विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर की अध्यक्षता में गठित एतद् संबंधी मण्डलीय समिति को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है–

1– विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जाय।

2– विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4– संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है, तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

5– संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे और इनके वेतनादि का भुगतान नियमानुसार बैंक के माध्यम से किया जाय।

6– कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेंगी।

8– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पत्रिकाओं में रखा जायेगा।

9– उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

10– शर्तों की प्रतिपूर्ति हेतु 06 माह पश्चात् पुनः निरीक्षण किया जायेगा, यदि शर्तों की पूर्ति नहीं पायी जाती है, तो समिति अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रत्याहरित करने पर विचार करेंगी।

11– अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने के पश्चात् विद्यालय को परिषद से मान्यता प्राप्त होने अथवा न होने की स्थिति में इस कार्यालय को भी अवगत कराया जाय।

12– विद्यालय में Rain Water Harvesting System स्थापित करना अनिवार्य होगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले ली जायेगी।

भवदीय

(उदयभान)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
विन्ध्याचल मण्डल,मीरजापुर

पृ0सं0:एन0ओ0सी0/ ५५०३- १० /2024–25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0, 18 पार्क रोड़ लखनऊ।
3– आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
4– जिलाधिकारी, सोनभद्र।
5– निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6– जिला विद्यालय निरीक्षक, सोनभद्र।
7– प्रबन्धक, सांई पब्लिक स्कूल, पचोखर रोड़, रामगढ़, सोनभद्र।
8– कार्यालय प्रति।

(उदयभान)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
विन्ध्याचल मण्डल,मीरजापुर